



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226138
CG-DL-E-26032021-226138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]

No. 1244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1348(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, एडीसी कार्यालय काजा (NH505) के कि.मी. 0 से कि.मी. 75 हिमाचल प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH505 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	सब डिविजनल ऑफिसर (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH505 के कि.मी. 0 से 75 तक	हिमाचल प्रदेश	लाहुल एंड स्पीति	स्पीति	1	काजा खास
						2	काजा सोमा
						3	लारा खास
						4	शेगो
						5	लिदांग
						6	धार लंगबुह
						7	ढंकर
						8	शिचलिंग
						9	समलिंग
						10	धार निप्ती
						11	लींगती
						12	धार गंगचुमिक
						13	पोह
						14	निदांग
						15	ताबो
						16	लापचा
						17	धार अंगला
						18	लारी
						19	तिप्ता
						20	धार चोचोदुन
						21	हुरलिंग
						22	धार कर्जैपा
						23	सुमदो
						24	क्युरिथ

[फा. सं. HP/BRO-DPK/Consultancy/NH-505/Pkg-IV]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1348(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages

mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 0 to Km. 75 of ADC Office Kaza (NH505) in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH505 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Divisional Officer (Civil)	0KM To 75KM	HIMACHAL PRADESH	LAHUL AND SPITI	Spiti	1	Kaza Khas (70/1)
						2	Kaza Soma
						3	Lara Khas
						4	Shego
						5	Lidang
						6	Dhar Lungbuh
						7	Dhankar
						8	Schichling
						9	Samling
						10	Dhar Nipti
						11	Lingti
						12	Dhar Gangchumic
						13	Poh
						14	Nidang
						15	Tabo
						16	Lapcha
						17	Dhar Angla
						18	Lari
						19	Tipta
						20	Dhar Chochodun
						21	Hurling
						22	Dhar Karjempa
						23	Sumdo
						24	Kyurith

[F. No. HP/BRO-DPK/Consultancy/NH-505/Pkg-IV]

RAJESH GUPTA, Director